बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक- 29/11/11

अधिसूचना संख्या-17/ए3-19/2011- 1248(17) /स्वा0, विभागीय अधिसूचना संख्या-854(17) दिनांक 18.08.2011 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में ट्यूटर / सिनियर रेजिडेन्ट के अतिरेक होने के कारण वेतनादि भुगतान हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापन किया गया था । अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक 10125 दिनांक 30.08.2011 द्वारा डा0 राणा नरेन्द्र कुमार सिंह (राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग संविदा नियुक्त ट्यूटर पी0एस0एम0 विभाग, अधिसूचना सं0-121(17) दिनांक 06. 03.07) द्वारा डा0 सिंह का पदस्थापन अपने अधीन करने का अनुरोध किया गया है । डा0 सिंह को Tuberculosis Operational Research Committee Traning Programme को चलाने हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में बना रहना आवश्यक बताया गया है । पत्र में स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम हेतु डा0 सिंह ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है । ये प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के अंतर्गत पदस्थापित है ।

2. समादेश याचिका संख्या-8986/2011 डा0 विभू प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 08.09.2011 को न्याय निर्णय के आलोक में संविदा पर कार्यरत ट्यूटर / सिनियर रेजिडेन्ट के वेतनादि के भुगतान पर विचार किया गया ।

3. वर्णित परिस्थिति में डा0 सिंह को अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-854(17) दिनांक 18.08.11 के क्रमांक 30 में आंशिक संशोधन करते हुए, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है । वेतन भुगतान फिजियोलॉजी विभाग में ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध किया जाय । यह आदेश कंडिका-2 में वर्णित समादेश याचिका के विरूद्ध दायर एल0पी0ए0 के निर्णय से प्रभावित होगा ।

4. शेष शर्ते यथावत् रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Sd/- 29/11/11

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 17/ए3-19/2011- 1248(17) /पटना, दिनांक- 29/11/11

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-संबंधित ट्यूटर,चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अवर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 17,स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 29/11/11

सरकार के अपर सचिव ।